भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

मधुसूदन गुप्ता
अवर सचिव

सं. 51/8/वीवीपीएटी/2017-ईएमएस दिनांक: 16 अक्तूबर, 2017

सेवा में

सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय: वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम (वीवीपीएटी) के साथ ईवीएम के प्रयोग पर अनुदेश-तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

पूर्व अनुदेशों के अधिक्रमण में आयोग ने निदेश दिए हैं कि ईवीएम के साथ वीवीपीएटी सिस्टम के प्रयोग पर निम्नलिखित अनुदेशों का लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के साधारण/उप-निर्वाचनों में कड़ाई से अनुपालन किया जाए:

1. मास्टर प्रशिक्षकों, मतदान कार्मिकों तथा भंडारण कार्मिकों का प्रशिक्षण:

पीठासीन अधिकारियों, मतदान अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों, सेक्टर अधिकारियों तथा मतगणना अधिकारियों को वीवीपीएटी के साथ ईवीएम के प्रयोग पर उनकी भूमिकाओं/ड्यूटियों के संबंध में व्यक्तिगत प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रत्येक पदाधिकारी को यह अवसर मिलना चाहिए कि वह वीवीपीएटी के साथ ईवीएम को चला सके और वीवीपीएटी का प्रयोग करते हुए मत रिकार्ड करने की प्रक्रिया को समझ सके। वीवीपीएटी सिस्टम से निकलने वाली मुद्रित पेपर पर्चियों की गणना और कंट्रोल यूनिट की गणना के साथ वीवीपीएटी की पेपर पर्चियों की गणना का मिलान करने पर एक अलग प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। वीवीपीएटी ब्रोशर **(अनुबंध-I)** की एक प्रति प्रशिक्षण के दौरान सभी अधिकारियों को दी जानी चाहिए और यह मतदान दिवस को सभी मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। राज्यीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थानों के प्रशिक्षण माड्यूल में वीवीपीएटी के प्रचालन और प्रयोग पर एक प्रशिक्षण सत्र शामिल किया जा सकता है।

2. वीवीपीएटी के प्रयोग के संबंध में जागरूकता:

वीवीपीएटी सिस्टम का जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) द्वारा एक उपयुक्त स्थान पर निर्वाचकों, रिटर्निंग अधिकारियों और राजनैतिक दलों के लिए प्रदर्शन किया जाना चाहिए। रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) निर्वाचन क्षेत्र में उपयुक्त स्थान पर अभ्यर्थियों और निर्वाचकों के लिए वीवीपीएटी सिस्टम के प्रदर्शन की व्यवस्था करेंगे। वीवीपीएटी सहित मतदान की पद्धति पर "वीवीपीएटी और ईवीएम का प्रयोग करते हुए अपना मत कैसे डालें" के संबंध में पोस्टर **(अनुबंध-II)** निर्वाचन क्षेत्र के मुख्य स्थानों और प्रत्येक मतदान केन्द्र पर इस प्रकार से लगाए जाने चाहिएं कि पंक्ति में वोट डालने के लिए खड़े लोग उन अनुदेशों को पढ़ सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारियों को प्रिंट मीडिया और स्थानीय केबल नेटवर्क पर वीवीपीएटी के साथ ईवीएम के उपयोग पर जागरूकता हेतु कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। इस प्रयोजनार्थ क्षेत्रीय भाषा में ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का प्रयोग करते हुए अपना वोट कैसे डालें पर एक लघु फिल्म भी बनाई जाएगी।

नोट: केवल प्रथम स्तरीय जांच पास कर चुकी ईवीएम और डमी प्रतीक चिन्हों के साथ ही वीवीपीएटी का प्रशिक्षण, जागरूकता और प्रदर्शन हेतु प्रयोग किया जाएगा।

3. मतदान के लिए ईवीएम और वीवीपीएटी सिस्टम की तैयारी:

मतदान के लिए ईवीएम की तैयारी पर आयोग के अनुदेशों के अनुसार ही ईवीएम को तैयार किया जाएगा। मतदान के लिए वीवीपीएटी सिस्टम को निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम **49**ख [**4**(ग)(**i**)-(**iii**)] में यथा उल्लिखित निम्नलिखित रीति से तैयार किया जाएगा:

(i) वीवीपीएटी में वीवीपीएटी स्टेटस डिस्प्ले यूनिट (वीएसडीयू) और वीवीपीएटी प्रिंटर यूनिट होते हैं। वीवीपीएटी यूनिट से एक नया बैटरी पॉवर पैक जोड़ा जाएगा और बैटरी कंपार्टमेंट के दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा परंतु बैटरी कंपार्टमेंट को सील करना आवश्यक नही होगा क्योंकि मतदान के दौरान वीएसडीयू पर लो बैटरी स्टेटस इंगित होने पर पावर पैक को बदला जा सकता है।

(ii) वीवीपीएटी के लिए उपयोगकर्ता मैनुअल में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण करके प्रिंटर यूनिट में नया पेपर रोल लगाया जाएगा।

(iii) इंजीनियरों की मदद से वीवीपीएटी में आबंटित की गई क्रम संख्याएं, अभ्यर्थियों के नाम और प्रतीको को लोड किया जाएगा। बैलेट यूनिट (बीयू) में बैलेट पेपर के साथ टेस्ट प्रिंट आउट की जांच की जाएगी।

(iv) तत्पश्चात, प्रत्येक अभ्यर्थी को एक वोट दिया जाएगा जिससे यह जांच हो सके कि वीवीपीएटी सही तरीके से पेपर स्लिप मुद्रित कर रही है।

(v) इसके पश्चात, सीयू को स्वीच आफ कर दें और थ्रेड सील तथा एड्रेस टेग का प्रयोग करते हुए पेपर रोल की कुंडी को सील कर दें। अभ्यर्थियों/उनके अभिकर्ताओं को एड्रेस टैग पर पार्टी संकेताक्षरों सहित अपने हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाएगी।

(vi) मतदान केन्द्रों को यूनिटें यादृच्छिक रूप से आबंटित की जाएंगी और उन्हें संबंधित कैरिंग केस में रखा जाएगा।

4. मतदान दल:

मतदान प्रक्रिया के दौरान वीवीपीएटी यूनिट को हैंडल करने तथा साथ ही वीएसडीयू पर लगातार नज़र रखने के लिए मतदान दलों का गठन करते समय वीवीपीएटी यूनिट को हैंडल करने के लिए एक अतिरिक्त मतदान कर्मी दिया जाना चाहिए। वीएसडीयू में किसी त्रुटि के सामने आने पर अधिकारी तत्काल इसकी सूचना पीठासीन अधिकारी को देगा। मतदान दलों की रवानगी पर समस्या निवारण संबंधी अनुदेशों की दो प्रतियां **(अनुबंध-III)** और मतदान सामग्रियों की अतिरिक्त मदों की सूची **(अनुबंध-IV)** को पीठासीन अधिकारियों को सौंपा जाएगा। वीवीपीएटी से पेपर बैलेट पर्चियों को स्टोर करने के लिए पर्याप्त संख्या में कागज के काले लिफाफे और प्लास्टिक के बक्से प्राप्त किए जाएंगे।

नोट: <u>"मतदान दलों को यह कड़ाई से अनुदेश दिए जाएंगे कि वे किसी भी परिस्थिति में मतदान केन्द्र पर छद्म मतदान से पूर्व और उनकी रवानगी के समय वीवीपीएटी परीक्षण न करें क्योंकि उनको आबंटित वीवीपीएटी पहले से ही जांचे परखे होते हैं।"</u>

5. मतदान केन्द्रों में छद्म मतदान का आयोजन और वीवीपीएटी तथा ईवीएम को सील करना:

छद्म मतदान के दौरान बीयू और वीवीपीएटी को वोटिंग कंपार्टमेंट में रखा जाना चाहिए जहां देखभाल के लिए मतदान अभिकर्ताओं के साथ मतदान अधिकारी को भी उपस्थित होना चाहिए। सीयू और वीएसडीयू को पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी की मेज पर रखा जाना चाहिए। यह मतदान अधिकारी डाले गए मतों का रिकॉर्ड रखेगा।

छद्म मतदान के बाद पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट में परिणाम की जांच करेगा, मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की गणना करेगा और इस संबंध में पुष्टि करेगा कि प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परिणाम मेल खाता हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा सीयू से संपूर्ण छद्म मतदान डाटा और वीवीपीएटी से वीवीपीएटी पेपर पर्चियां अवश्य हटा ली जानी चाहिए और मतदान अभिकर्ताओं द्वारा खाली ड्रॉप बॉक्स की जांच कर ली जानी चाहिए। छद्म मतदान संबंधी वीवीपीएटी पेपर पर पिछली तरफ 'छद्म मतदान पर्ची' वाली मोहर लगाई जानी चाहिए, तत्पश्चात छद्म मतदान वीवीपीएटी पेपर स्लिप मोटे

काले कागज के लिफाफे में रखी जाएंगी और इसे पीठासीन अधिकारी की सील से सील किया जाएगा। उपर्युक्त स्टैम्प की नमूना छवि निम्नलिखित अनुसार है:

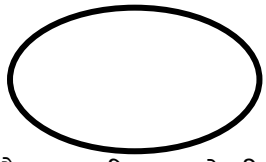

(इस प्रयोजनार्थ प्रयुक्त होने वाली स्टैम्प का परिमाप 3 से.मी. x 1.5 से.मी. होना चाहिए)

पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ता को लिफाफे पर अपने हस्ताक्षर अवश्य करने चाहिए। लिफाफे पर मतदान केन्द्र की संख्या और नाम, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम, मतदान की तारीख तथा "छद्म मतदान की वीवीपीएटी पेपर पर्चियां" शब्द लिखे होने चाहिए।

इस लिफाफे को छद्म मतदान हेतु प्लास्टिक के विशेष बक्से में रखा जाना चाहिए और इसे चारों ओर से पिंक पेपर सील से इस प्रकार से सील करना चाहिए कि बॉक्स को खोलने के लिए सील को तोड़ना पड़े। प्लास्टिक बॉक्स पर मतदान केन्द्र की संख्या और नाम, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम और मतदान की तारीख लिखी जाएगी। पीठासीन अधिकारी को पिंक पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से करने चाहिए और निर्वाचनों के संबंध में अन्य दस्तावेजों के साथ ही बॉक्स को रख देना चाहिए। इसके बाद, पीठासीन अधिकारी छद्म मतदान प्रमाणपत्र (अनुबंध-V) पर हस्ताक्षर करेगा और सीयू को सील करेगा। वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स को वास्तविक मतदान के आरंभ होने से पहले एड्रेस टैग के साथ सील कर देना चाहिए।

6. पेपर पर्ची पर ब्योरों के गलत मुद्रण के बारे में शिकायत:

यदि कोई मतदाता यह आरोप लगाता है कि बैलेटिंग यूनिट, जिससे प्रिंटर जुड़ा हुआ है, पर संबंधित नीला (अभ्यर्थी) बटन दबाने पर प्रिंटर द्वारा मुद्रित वीवीपीएटी पेपर पर्ची पर अभ्यर्थी के ब्योरे और/या अभ्यर्थी का प्रतीक गलत मुद्रित हो रहा है तो मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को उसे 'घोषणापत्र फार्म' **(अनुबंध-VI)** देना चाहिए ताकि वह शिकायत दर्ज कर नियम 49 (एमए) के अधीन निम्नलिखित अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण कर सके:

"49 एमए-पेपर पर्ची पर मुद्रित ब्योरों के बारे में शिकायत के मामले में प्रक्रिया-

(1) जहां पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, यदि वहां कोई निर्वाचक नियम 49एम के अधीन अपना मत रिकॉर्ड करने के पश्चात यह आरोप लगाता है कि प्रिंटर द्वारा सृजित पेपर पर्ची में दिखाया गया अभ्यर्थी का नाम और प्रतीक उसके द्वारा वोट किए गए अभ्यर्थी से अलग है तो पीठासीन अधिकारी गलत घोषणा करने के परिणामों के बारे में निर्वाचक को चेतावनी देने के बाद उससे इस संबंध में लिखित घोषणापत्र प्राप्त करेंगे।

(2) यदि निर्वाचक, उप नियम (1) में संदर्भित लिखित घोषणापत्र देता है तो पीठासीन अधिकारी उस निर्वाचक के संबंध में फॉर्म 17-क में दूसरी प्रविष्टि करेगा और निर्वाचक को उसकी उपस्थिति में अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ता, जो भी मतदान केन्द्र मे उपस्थित हों, की उपस्थिति में मतदान मशीन में टेस्ट वोट रिकार्ड करने को कहेगा और प्रिंटर द्वारा सृजित पेपर पर्ची को देखेगा।

(3) यदि आरोप सत्य पाया जाता है तो पीठासीन अधिकारी तुरंत तथ्यों के संबंध में रिटर्निंग अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, उस वोटिंग मशीन में मतों की आगे की रिकॉडिंग रूकवा देंगे और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिए गए निदेशानुसार कार्य करेंगे।

(4) तथापि, यदि आरोप निराधार पाए जाते हैं और इस प्रकार से उप नियम(1) के अधीन सृजित पेपर पर्ची उप नियम(2) के अधीन निर्वाचक द्वारा रिकार्ड किए गए मत से मेल खाती है तो पीठासीन अधिकारी:

(i) जिस अभ्यर्थी के लिए ऐसा टेस्ट वोट रिकॉर्ड किया गया है उस अभ्यर्थी की क्रम संख्या और नाम का उल्लेख करते हुए फॉर्म **17**क में उस निर्वाचक के संबंध में दूसरी प्रविष्टि के लिए उस संबंध में टिप्पणी करेगा।

(ii) ऐसी टिप्पणी के संबंध में उस निर्वाचक के हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लेंगे और

(iii) फॉर्म **17**ग के भाग-। में मद संख्या **5** में ऐसे टेस्ट वोट के संबंध में आवश्यक प्रविष्टि करेगा।"

7. मतदान के दौरान कुछ आकस्मिकताओं के मामले में कार्रवाई:

मतदान प्रक्रिया के दौरान कुछ आकस्मिकताएं उत्पन्न हो सकती हैं जिन पर कार्रवाई अपेक्षित होती है। ये निम्नलिखित अनुसार हैं:

क. यदि सीयू या बीयू ठीक से कार्य नहीं करती हैं तो सीयू, बीयू और वीवीपीएटी सहित पूरी ईवीएम को बदला जाना अपेक्षित होता है। किसी प्रकार के छद्म मतदान कराने की आवश्यकता नहीं हैं।

ख. यदि वीएसडीयू "लो बैटरी" दिखा रहा है तो वीवीपीएटी का पावर बैटरी पैक बदला जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वीवीपीएटी का पॉवर पैक बैटरी निकालने से पहले कंट्रोल यूनिट को बंद कर देना चाहिए और वीवीपीएटी में नया पावर पैक बैटरी लगाने के बाद कंट्रोल यूनिट को चालू कर देना चाहिए। वीवीपीएटी में पॉवर पैक लगाए बिना कंट्रोल यूनिट को चालू नहीं किया जाना चाहिए।

ग. यदि कोई अन्य त्रुटि यथा "पेपर लो" त्रुटि हो तो वीवीपीएटी मुद्रण बंद कर देगा और त्रुटि वीएसडीयू पर दिखाई देगी। ऐसे मामले में वीवीपीएटी यूनिट को बदला जाएगा। किसी प्रकार के छद्म मतदान की आवश्यकता नहीं हैं। इसलिए यदि वीवीपीएटी ने पेपर स्लिप मुद्रित नहीं की है या मुद्रित पेपर पर्ची कट नहीं पाई है तो वह अंतिम मतदाता जिसकी पेपर पर्ची वीवीपीएटी द्वारा प्रिंट नहीं हो पाई थी या कट नहीं पाई थी तो उसे वीवीपीएटी के बदलने के बाद दुबारा वोट डालने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि मुद्रित पेपर पर्ची कट नहीं पाई है और पेपर रोल से ही लटक रही है तो इसे ड्रॉप बॉक्स में गिराने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। इसे लटके रहने देना चाहिए जिसका अर्थ है कंट्रोल यूनिट में वोट रिकॉर्ड नहीं हुआ है और इसे मुद्रित पेपर-पर्चियों की गणना के समय गिना नहीं जाएगा। ऐसी घटनाओं के ब्योरे निम्नलिखित फार्मेट में पीठासीन अधिकारी की डायरी में रिकॉर्ड किए जाने चाहिए:

i. घटना की तारीख व समय।
ii. निर्वाचक नामावली में 'पार्ट' में उस मतदाता का नाम व उसकी क्रम संख्या जिसे वीवीपीएटी बदलने के बाद वोट डालने की अनुमति दी गई थी।
iii. क्या मतदाता ने वीवीपीएटी को बदलने के बाद अपना वोट दिया या बिना वोट डाले ही चला गया।
iv. घटना से पहले डाले गए मतों की कुल संख्या।

आकस्मिकताओं की स्थिति में पीठासीन अधिकारी समाधान के लिए **अनुबंध-।।।** भी देख सकते हैं।

8.मतों एवं मुद्रित मत-पत्र पर्चियों की गणना करना:

परिणाम पत्रक प्रविष्टियों की घोषणा के बाद कोई भी अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन एजेंट या उनके मतगणना एजेंट आर.ओ. से किसी या सभी मतदान केन्द्रों की मुद्रित वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की गणना करने के लिए लिखित रूप में आवेदन कर सकते हैं। यदि इस प्रकार का आवेदन किया जाता है तो आर.ओ. इस बात पर सकारण आदेश पारित करेगा कि क्या वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की गणना की जानी चाहिए। यदि आर.ओ. किसी या सभी मतदान केन्द्रों की वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की गणना करने की अनुमति देने का निर्णय करते हैं तो आर.ओ. का ऐसा निर्णय, उसके

कारणों के साथ, अवश्यतया लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। आर.ओ. निम्नलिखित बातों पर समुचित रूप से विचार करेंगे:

() क्या उस मतदान केन्द्र में डले मतों की कुल संख्या विजेता अभ्यर्थी और आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के बीच मतों के अंतर से अपेक्षाकृत अधिक या अपेक्षाकृत कम है,

() क्या ईवीएम में गड़बड़ी थी और मतदान के दौरान उस मतदान केन्द्र में बदली गई थी,

() क्या वीवीपीएटी के मुद्रण न करने के बारे में कोई शिकायत या मतदान के दौरान उस मतदान केन्द्र में नियम 49 एमए के तहत किसी मतदाता द्वारा शिकायतें की गई थीं।

9.वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की गणना करने के लिए व्यवस्थाएं करना:

(क) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतगणना हॉल के भीतर एक मतगणना मेज, वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की गणना के लिए, वीवीपीएटी मतगणना बूथ (वीसीबी) के रूप में निर्धारित की जाएगी।

(ख) वीसीबी बैंक कैशियर केबिन की तरह एक तार-जाली से परिबद्ध होगा ताकि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति की कोई भी वीवीपीएटी पेपर पर्ची तक पहुंच नहीं हो।

10.वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की गणना करने की कार्यविधि:

यदि आर.ओ. किसी/किन्ही मतदान केन्द्र(केन्द्रों) की पुनर्गणना के लिए अपील करने पर किसी/किन्हीं मतदान केन्द्र(द्रों) की मुद्रित पेपर पर्चियों की गणना करने का निर्णय लेते हैं तो निम्नलिखित कार्यविधियों का कड़ाई से पालन किया जाएगा:

कदम-1:

i) वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स से बाहर निकाली गई वीवीपीएटी पेपर पर्चियों को रखने के लिए 14 इंच x 10 इंच x 5इंच (लम्बाईxचौड़ाईxऊंचाई) आयामों के पर्याप्त आकार का ढक्कनयुक्त ऐसा पात्र वीसीबी की मेज पर रखा जाएगा जिसमें 1400 मुद्रित पेपर पर्चियों आसानी से समा सकें। यह पात्र मज़बूत पारदर्शी सामग्री जैसे प्लास्टिक आदि से बना होना चाहिए। पात्र की प्रतिदर्श छवियां अनुबंध-VII पर उपलब्ध हैं।

ii) संबंधित अभ्यर्थियों की वीवीपीएटी पेपर पर्चियां रखने के लिए नोटा सहित अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार, वीवीपीएटी की स्व–परीक्षण पर्चियां रखने के लिए एक अतिरिक्त खाना(कोष्ठ) संरचना के साथ, एक खाना(कोष्ठ) संरचना तैयार की जाएगी, और वीसीबी की मेज पर रखी जाएगी।

() संरचना में कोष्ठों की न्यूनतम संख्या अभ्यर्थियों की कुल संख्या + 2(दो) के बराबर होनी चाहिए।

() प्रत्येक खाने का आकार कम से कम 6इंच x 4इंच x 4इंच (लम्बाईxचौड़ाईxऊंचाई) अवश्य होना चाहिए।

() कोष्ठ संरचना मज़बूत पारदर्शी सामग्री जैसे प्लास्टिक से बनी होनी चाहिए, इसका एक पुख़्ता आधार होना चाहिए ताकि कोई भी वीवीपीएटी पेपर पर्ची अंदर से नहीं सरके।

() मत-पत्र के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी का प्रतीक अभ्यर्थी विशेष के लिए आबंटित कोष्ठ(खाना) की दीवार पर चिपकाया जाना चाहिए। प्रतीक न्यूनतम साइज 4इंचx3इंच ब्लैक एवं व्हाइट में मुद्रित किया जाना चाहिए। कोष्ठ संरचना की प्रतिदर्श छवियां अनुबंध-VII पर रखी गई हैं।

iii) 25 वीवीपीएटी पेपर पर्चियों का बंडल बनाने के लिए कम से कम 100 रबड़ बैंड।

कदम-2:

i) संबंधित मतदान केन्द्र(केन्द्रों) की वीवीपीएटी यूनिट(टें) एक के बाद एक, जैसा भी मामला हो, वीसीबी पर लाई जानी चाहिए।

ii) यदि उस मतदान केन्द्र में मतदान के दौरान एक वीवीपीएटी यूनिट बदली जाती है तो उस मतदान केन्द्र में प्रयुक्त सभी वीवीपीएटी यूनिटें वीसीबी पर लाई जानी चाहिए।

कदम-3:

i) मुद्रित पेपर पर्चियां, उस मतदान केन्द्र के लिए वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की गणना शुरू करने से पहले मतदान केन्द्र में प्रयुक्त सभी वीवीपीएटी से बाहर निकाली जाएंगी।

ii) ड्रॉप बॉक्स से वीवीपीएटी पेपर पर्चियां बाहर निकालने से पहले ड्रॉप बॉक्स के पता टैग(गों) की यह अभिनिश्चित करने के लिए प्रति जांच की जाएगी कि वीवीपीएटी संबंधित मतदान केन्द्र से संबंधित है।

iii) वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स से बाहर निकाली गई वीवीपीएटी पेपर पर्चियां पहले कदम 1(c) पर दिए गए विनिर्देशन के अनुरूपी पात्र में रखी जाएंगी।

iv) ड्रॉप बॉक्स से वीवीपीएटी पेपर पर्चियां बाहर निकालने के बाद मतगणना पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी वीवीपीएटी पेपर पर्ची वीवीपीएटी ड्रॉप बॉक्स के भीतर छूट न जाए और खाली ड्रॉप बॉक्स मतगणना एजेंटों को दिखाएंगे।

v) वीवीपीएटी यूनिट के बदले जाने की दशा में ऐसा घटित हो सकता है कि पूरी तरह या आंशिक रूप से न कटी हुई वीवीपीएटी पेपर पर्ची लटक रही हो और न कट पाई हो और ड्रॉप बॉक्स में न गिरी हो और अभी भी पेपर रोल से जुड़ी हुई हो। यह न कटी हुई वीवीपीएटी पेपर पर्ची नहीं फाड़ी जानी चाहिए और न गिनी जानी चाहिए क्योंकि मत सीयू में तब तक दर्ज नहीं होता है जब तक कि वीवीपीएटी पेपर पर्ची कट न जाए। ऐसी स्थिति में, अंतिम मतदाता, जिसकी वीवीपीएटी पेपर पर्ची नहीं कट पाई थी, को वीवीपीएटी के बदले जाने के बाद अपना मत डालने का अवसर मिला होगा और उसके द्वारा डाले गए मत की वीवीपीएटी पेपर पर्ची उस मतदान केन्द्र में प्रयुक्त अगली वीवीपीएटी में होगी।

vi) वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स में स्व-परीक्षण रिपोर्ट की वीवीपीएटी पर्चियां भी होंगी। ये आसानी से पहचाने जाते हैं क्योंकि इनमें न तो किसी अभ्यर्थी का नाम होता है और न ही प्रतीक। ये स्व–परीक्षण रिपोर्ट पर्चियां, वीवीपीएटी पेपर पर्चियों के साथ, अभिलेख के भाग के रूप में संरक्षित की जानी होती हैं, लेकिन उन्हें गिना नहीं जाना होता है।

कदम-4:

i) वीवीपीएटी पेपर पर्चियां एक के बाद एक अलग-अलग की जानी चाहिए और प्रत्येक पर्ची मतगणना एजेटों को दिखाए जाने के बाद संबंधित कोष्ठों में रखी जानी चाहिए। स्व-परीक्षण रिपोर्टों वाली पेपर पर्चियां भी प्रथक्कृत की जाएंगी और इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराए गए एक पृथक कोष्ठक में रखी जाएंगी।

ii) संबंधित अभ्यर्थियों की 25 वीवीपीएटी पेपर पर्चियों के बंडल मतगणना प्रयोजनों के लिए तैयार किए जाएंगे।

iii) तदुपरांत, मतगणना स्टॉफ द्वारा वीवीपीएटी पेपर पर्चियां गिनी जाएंगी।

iv) वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की गणना के परिणाम **अनुबंध-VII** के अनुसार फार्मेट में तैयार किए जाएंगे और प्ररूप 17-ग के भाग-II में संलग्न किए जाएंगे।

v) वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की गणना के परिणाम की मतगणना हॉल में ऊंचे स्वर से घोषणा की जाएगी और मतगणना एजेंटों को दिखाए जाएंगे।

vi) निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 56घ(ख) के अनुसार यदि ईवीएम गणना और पेपर पर्ची गणना के बीच कोई असंगति होती है तो पेपर पर्ची गणना मान्य होगी। इसलिए, यदि कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित मतों की गणना और उस मतदान केन्द्र के संदर्भ में मुद्रित पेपर पर्चियों की गणना के बीच कोई असंगति होती है तो परिणाम पत्रक मुद्रित पेपर पर्ची गणना के अनुसार संशोधित किया जाएगा।

कदम-5:

वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की गणना पूरी होने के बाद सभी वीवीपीएटी पेपर पर्चियों के बंडल संबंधित वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स में रखे जाएंगे और ड्रॉप बॉक्स का दरवाजा पता टेगों का उपयोग करके सीलबंद किए जाएंगे। अभ्यर्थी/उनके एजेंटों को भी पता टेगों पर दलीय संक्षिप्ति के साथ अपने हस्ताक्षर चिपकाने की अनुमति दी जाएगी।

11. वीवीपीएटी यूनिटों से थर्मल पेपर रॉल एवं पावर पैक का हटाया जाना:

परिणाम की घोषणा के बाद थर्मल पेपर रॉल एवं पावर पैक वीडियोग्रॉफी के अधीन सभी वीवीपीएटी यूनिटों से निकाले जाएंगे और पृथक स्ट्रांग रूम में रखे जाएंगे। **किसी भी स्थिति में मुद्रित पेपर पर्चियां किसी भी वीवीपीएटी के ड्रॉप-बॉक्स से बाहर नहीं निकाली जाएंगी।**

12. मतों की गणना के बाद वीवीपीएटी का भंडारण:

मतों की गणना पूरी होने के बाद ईवीएम और अपने ड्रॉप बॉक्स में मुद्रित पेपर पर्चियों वाले वीवीपीएटी एक ही स्टांग रूम में रखे जाएंगे।

- स्टांग रूम निर्वाचन याचिका(ई.पी.)अवधि के समाप्त होने तक अर्थात् संबंधित उच्च न्यायालय से ई.पी.सूची प्राप्त होने तक नहीं खोले जाएंगे।
- निर्वाचन याचिका अवधि के समाप्त होने के बाद स्ट्रांग रूम खोलने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय से ठीक-ठीक ई.पी. स्थिति अभिनिश्चित की जानी चाहिए।

13. निर्वाचन याचिकाएं दाखिल करने की अवधि के समाप्त होने के बाद वीवीपीएटी पेपर पर्चियों का भंडारण:

निर्वाचन याचिकाएं(ई.पी.) दाखिल करने की अवधि समाप्त होने अर्थात् परिणाम की घोषणा की तारीख से 45 दिनों के बाद जिला निर्वाचन अधिकारीगण संबंधित उच्च न्यायालय से ई.पी. की स्थिति अभिनिश्चित करेंगे। संबंधित उच्च न्यायालय से ई.पी. की स्थिति प्राप्त करने के बाद निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी:

- किसी निर्वाचन में प्रयुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में रखी गई प्रत्येक वीवीपीएटी निर्वाचन याचिका दाखिल करने की अवधि के पूरे होने अर्थात् परिणाम की घोषणा की तारीख से 45 दिनों के बाद संबंधित उच्च न्यायालय से निर्वाचन याचिका की वस्तुस्थिति की पुष्टि होने तक, सुरक्षा के मानक प्रोटोकॉल के अंतर्गत, अक्षुण्ण रखी जाएगी।
- निर्वाचनों की दशा में जिनमें पूर्वोक्त अवधि के बाद कोई भी निर्वाचन याचिका दाखिल नहीं की गई है या कोई भी अन्य न्यायालयीन मामला लंबित नहीं है, वीवीपीएटी किसी भी भावी निर्वाचन में उपयोग के लिए या कोई भी अन्य प्रयोजन जैसे प्रशिक्षण, जागरूकता, आवाजाही, प्रत्यक्ष सत्यापन आदि के लिए उपलब्ध होंगी।

  किसी भी वीवीपीएटी को इधर-उधर करने से पहले मुद्रित पेपर पर्चियां नीचे उल्लिखित कार्यविधि के अनुसार वीवीपीएटी के ड्रॉप-बॉक्स से बाहर निकाली जाएंगी:

  i) वीवीपीएटी वाले स्टांग रूम को खोले जाने की सूचना देने वाला नोटिस सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कम से कम 48 घंटे पहले लिखित रूप में दिया जाएगा जिसमें उनसे स्टांग रूम खोलने के समय उपस्थित रहने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

  ii) स्टांग रूम जिला निर्वाचन अधिकारी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोले जाएंगे।

  iii) वीवीपीएटी पेपर पर्चियां वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स से बाहर निकाली जाएंगी और मोटे कोले कागज से बने पेपर लिफाफे, जो डी.ई.ओ. की मुहर के अधीन लाल मोम से सीलबंद हो, में रखी जाएंगी। निर्वाचन का नाम विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की संख्या एवं नाम, मतदान केन्द्र के विवरण, वीवीपीएटी की विशिष्ट क्रम संख्या, मतदान की तारीख और मतगणना की तारीख मुद्रित पेपर पर्चियों वाले लिफाफे पर उल्लिखित की जाएगी।

  iv) वीवीपीएटी पेपर पर्चियों वाले लिफाफे सांविधिक समय-सीमा तक उस निर्वाचन से संबंधित अन्य सभी सांविधिक दस्तावेजों के साथ रखे जाएंगे।

  v) वीवीपीएटी पेपर पर्चियों के निकालने और उन्हें सीलबंद किए जाने के लिए तैनात किए गए अधिकारियों की पूरी तरह जांच की जानी अवश्य सुनिश्चित की जानी चाहिए। सीलिंग रूम/स्टांग रूम में प्रवेश करने से पहले सभी पॉकेटों को खाली किए जाने की जरूरत है और डीएफएमडी/मेटल डिटेक्टर चेकिंग के अलावा सीलिंग रूम छोड़ने वाले कर्मचारियों की सम्पूर्ण जांच की जानी चाहिए।

  vi) वीवीपीएटी पेपर पर्चियों के बाहर निकाले जाने के बाद वीवीपीएटी को उनके पृथक नामोद्दिष्ट वेयरहाउस में अवश्य रखा जाना चाहिए। वीवीपीएटी को उसी वेयरहाउस में नहीं रखा जाना चाहिए जिसमें ईवीएम का भंडारण किया जाता है।

  vii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीलिंग रूम/स्ट्रांग रूम से कोई भी पेपर-पर्चियों को निकालने की जानबूझ कर कोई कोशिश नहीं की जाए, सम्पूर्ण प्रक्रिया उच्च क्वालिटी की सीसीटीवी रिकार्डिंग/वीडियोग्राफी में संचालित की जानी चाहिए।

- ऐसे किसी निर्वाचन की दशा में, जिसमें निर्वाचन याचिका दाखिल की गई है,

  निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी:

  (i) यदि ईवीएम या मतों की गणना निर्वाचन याचिका की विषय-वस्तु हो तो संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों में प्रयुक्त ईवीएम और वीवीपीएटी उस समय तक जिला निर्वाचन अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाते रहेंगे जब तक कि न्यायालयों द्वारा निर्वाचन याचिका का अंतिम रूप से निपटान नहीं कर दिया जाता है।

  (ii) यदि ईवीएम या मतों की गणना निर्वाचन याचिका का विषय नहीं हो तो संबंधित ईवीएम एवं वीवीपीएटी को किसी भावी कार्रवाई के लिए या किसी अन्य प्रयोजन जैसे आवाजाही, प्रत्यक्ष सत्यापन आदि के लिए स्ट्रांग रूम से बाहर निकाले जाने के लिए संबंधित न्यायालय में एक आवेदन दिया जाना चाहिए।

  (iii) यदि किसी निर्वाचन याचिका/न्यायालयीन मामले से नहीं जुड़ी वीवीपीएटी को निर्वाचन याचिका/न्यायालयीन मामले से जुड़ी वीवीपीएटी के साथ स्टोर किया जाता है तो ईपी/न्यायालयीन मामले से जुड़ी वीवीपीएटी से किसी निर्वाचन याचिका/न्यायालयीन मामले से नहीं जुड़े वीवीपीएटी को अलग करने के लिए निम्नलिखित कार्यविधि अपनाई जाएगी:-

- () ईपी/न्यायालयीन मामले से जुड़े वीवीपीएटी वाले स्ट्रांग रूम को खोले जाने की सूचना देने वाला नोटिस ईपी/न्यायालयीन मामले के याचिकाकर्त्ताओं/प्रत्यर्थियों और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कम से कम **72** घंटे पहले लिखित रूप में दिया जाएगा जिसमें उनसे स्टांग रूम खुलने के लिए उपस्थित रहने के लिए कहा जाएगा।
- () स्टांग रूम जिला निर्वाचन अधिकारी, ईपी/न्यायालयीन मामले के याचिकाकर्त्ताओं/प्रत्यर्थियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोले जाएंगे।
- () किसी ईपी/न्यायालयीन मामले से नहीं जुड़ी वीवीपीएटी को स्टांग रूम से बाहर निकालने के लिए उन्हें ईपी/न्यायालयीन मामले से जुड़ी वीवीपीएटी से अलग किया जाएगा। स्ट्रांग रूम से इस तरह निकाले जा रहे वीवीपीएटी की सूची तैयार की जाएगी।
- () केवल वही वीवीपीएटी स्ट्रांग रूम से बाहर निकाले जाने चाहिए जो किसी भी ईपी/न्यायालयीन मामले से नहीं जुड़े हुए हों।
- () ऐसे सभी वीवीपीएटी से मुद्रित पेपर पर्चियां निकाले जाने के लिए उपर्युक्त पैरा **13(**ख**)** में उल्लिखित कार्यविधि अपनाई जाएगी जिसके उपरांत वीवीपीएटी किसी भी अनुवर्ती तैनाती/उपयोग के लिए उपलब्ध होंगी।
- () सम्पूर्ण प्रकिया की वीडियोग्रॉफी की जाएगी और वीडियोग्रॉफी रिकार्ड के लिए अवश्य संरक्षित की जानी चाहिए।

उपर्युक्त अनुदेश सभी संबंधितों के ध्यान में लाए जाएं।

भवदीय,

ह./-
(मधुसूदन गुप्ता)
अवर सचिव

प्रतिः-

1. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, भारत इलेक्टॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलूर, कर्नाटक।
2. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, इलेक्टॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश।
3. जोनल-वरि. प्रधान सचिव/सचिव/अवर सचिव।